कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री परीक्षित इण्डस्ट्रीज लि0, 8/744 विकास नगर, लखनऊ**

प्रा0प0सं0— **417/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री ए0सी0शुक्ला, फर्म मैनेजर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 25—।।—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी द्वारा स्प्रिकंलर, सिचांई उपकरण एवं ड्रिप सिचांई उपकरण तथा उसके पार्टस की बिक्री का कार्य किया जाता है तथा उक्त बिक्री उनके द्वारा मुख्यतः कृषि / उद्यान विभाग द्वारा चयनित कृषको को तथा अन्य को की जाती है।

" व्यापारी द्वारा स्प्रिकलर / ड्रिप सिचांई पाइप की अलग से बिक्री की दशा में कृषको के हित में करमुक्त है अथवा नहीं तथा यदि करयोग्य है तो किस अनुसुची के अन्तर्गत करयोग्य है ? "

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या—245दिनांक 12—0।—09 से आख्या प्रेषित की है जिसमें सिंचाई के पाइप की किस्म का वर्णन नहीं किया गया है अतः पाइप की बिक्री पर करदेयता की आख्या देना संभव नहीं है।

इसके पूर्व व्यापारी द्वारा दिनांक 19—1—09 को अपने पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र के क्रम में पुनः धारा—59 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा निम्न तीन प्रश्न पूछे गये हैः—

अ— छिड़काव (स्प्रिकंलर) सिचांई उपकरण में प्रयुक्त स्प्रिकंलर एवं एच0डी0पी0ई0पाइप तथा फिटिग्स जो क्रमांक—। में वर्णित है।

ब— ड्रिप सिचांई उपकरण में प्रयुक्त पी0वी0सी0/एच0डी0पी0ई0पाइप तथा ड्रिपरस/एमीटरस, लेटरल लाइन पाइप, टयूब्स एंड अन्य फिटिग्स इत्यादि जो क्रमांक —। में वर्णित है।

स— पी0वी0सी0/एच0डी0पी0ई0सिंचाई पाइप एवं फिटिग्स जो स्प्रिकंलर तथा ड्रिप सिचांई उपकरण में प्रयुक्त होते है।

हैण्डबुक आफ एग्रीकल्चर / इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिर्सच, न्यू दिल्ली द्वारा पब्लिश किया गया है । उक्त हैण्डबुक के अनुसार **sprinkler irrigation is a system in the case of which water pressure is applied to the surface of any crop or soil in the from of a thin spray from above.....A typical sprinkler system consists of a pump to lift and convey water under pressure,pipes or tubing for the conveyance of water, the sprinkler heads or nozzels,the risers which connect the sprinkler heads with the pipe line. .....These system irrigate an area of 75 to 100 metre radius , depending on the nozzels size and the pressure. The boom sprinklers are commonly used for tall crops and orchards.**

दिनांक 11—2—09 के पूर्व वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची—। में केवल **'स्प्रिकंलर'** को करमुक्त किया गया था तथा स्प्रिकंलर सेट करमुक्त नहीं था तथा वह अवर्गीकृत था। दिनांक 11.2.09 को शासन द्वारा अनुसुची—2 के भाग 'क' मे क्रम संख्या 55 पर निम्न प्रविष्टि रख दी गयी ।

55	Parts of Sprinkler set, nemely,-ORC Bands, ORC Service Saddle, ORCT, SprinklerNozzle, ORC Pump Connector and ORC & Cap.

जहॉ तक पाइप का प्रश्न है वैट अधिनियम की अनुसुची—2 के भाग 'क' के क्रमांक—94 मे दिनांक 29.9.08 के पूर्व निम्न प्रविष्ट थी :—

94	Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes, PVC etc. and fittings.

क्रमशः पृष्ठ 2पर

सर्वश्री परीक्षित इण्डस्ट्रीज लि0, 8/744 विकास नगर, लखनऊ /प्रा0प0सं0– 417/2008

दिनांक 29–9–08 के पश्चात प्रकार वैट अधिनियम की अनुसुची–2 के भाग 'क' के क्रमांक–94 को **विलोपित** कर दिया गया है अर्थात च्यचमे वि ंसस अंतपमजपमे अवर्गीकृत हो गया तत्पश्चात पुनः दिनांक 15–1–09 को जारी विज्ञप्ति द्वारा वैट अधिनियम की अनुसुची–2 के क्रमांक–94 को पुनः स्थापित कर दिया गया है जो निम्नवत् हैः–

94	Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes, PVC etc. and fittings. [vide Noti.no.KA.NI.-2-102/X1-9[1] /08....dated 15-1-09 effective 16-1-09]

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री ए0सी0शुक्ला, फर्म मैनेजर उपस्थित हुयें तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4– मेरे द्वारा धारा–59 के प्रार्थना पत्र, प्राप्त विभागीय आख्या, अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया गया । दिनांक 29–9–08 से दिनांक 15–1–09 के मध्य अनुसुची–2 के भाग 'क' के क्रमांक–94 को **विलोपित** करने के कारण उक्त अवधि मे पाइप्स अवर्गीकृत की श्रेणी में आयेगे तथा अवर्गीकृत होने के कारण अनुसुची–5 के अन्तर्गत 12.5 की दर से करयोग्य रहेगे, परन्तु दिनांक 29.9.08 के पूर्व व दि0 15.1. 09 के पश्चात एच0डी0पी0ई0पाइप अनुसुची–2 के भाग 'क' के क्रमांक–94 मे होने के कारण 4प्रति0 की दर से करयोग्य होंगे ।

स्प्रिकंलर सेट सिस्टम में स्प्रिकंलर को छोड़ कर दिनांक 11–2–09 के पूर्व समस्त अवयव अवर्गीकृत थे । दिनांक 11–2–09 को जारी शासकीय विज्ञप्ति संख्या–356/ग्यारह–9(।)/08–2008–आदेश(4।)–2009दिनांक 11–2–09 के पश्चात स्प्रिकंलर सेट के निम्न अवयवो अर्थात–क्यू आर सी बैंड, क्यू आर सी सर्विस सैडल, छिड़काव नोजल, क्यू आर सी टी, क्यू आर सी पम्प कनैक्टर तथा क्यू आर सी एण्ड कैप को अनुसुची–2 के भाग 'क' के क्रमांक–55 मे आने के कारण पर 4 प्रतिशत की दर से करदेय होगे।

अतः **'स्प्रिकंलर'** अनुसुची–1 मे आने के कारण करमुक्त रहेगा तथा **'स्प्रिकंलर सेट'** के जो अवयव अनुसुची–2 के भाग 'क' के क्रमांक–55 मे वर्णित है वह 4प्रति0 की दर से 11.2.09 के पश्चात करयोग्य होगे तथा शेष अवयव तदानुसार जिस अनुसूची मे आयेगे उसी की भॅाति करयोग्य होगे ।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 19, मार्च, 2009

ह0 19.3.09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।